पूर्वोत्तर रेलवे

विज्ञापन सूचना सं0 1/के0 औषधि भण्डार लोकल पर्चेज/पंजीकरण

विषयः– ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर में औषधियों व अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति के लिए स्थानीय फर्मो का पंजीकरण ।

भारत के राष्ट्रपति के ओर से ,ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर द्वारा औषधियों व अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों (जैसे एक्स–रे प्लेट,ई.सी.जी रोल,ड्रेसिंग सामग्री,सर्जिकल मद,पैथोलोजी के रसायन व किट इत्यादि) की स्थानीय क्रय आधार पर आपूर्ति के लिए इच्छुक स्थानीय फर्मों, निर्माताओं,स्टाकिस्टों,वितरकों,से पंजीकरण करानें हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1–फर्मों के लिए पात्रता मापदण्ड (Eligibility criteria)

(क)–फर्म का विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 20 लाख होना चाहिए (उपरोक्त के समर्थन में आयकर रिर्टन/चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना होगा।)
(Financial Capability-Average Annual turn over for 3 years will be more than Rs.20 lac per year supported by Income Tax Return/ Balance sheet duly certified by Chartered accountant.)

(ख)–विगत पॉच वर्षों में फर्म के विरुद्ध Non Conviction से सम्बन्धित फर्म द्वारा घोषणा ।
(Self declaration for Non-conviction in last 5 years.)

(ग)–क्रय विक्रय हेतु वैध औषधि लाईसेन्स
(Valid Drug License for Sale & supply,)

(घ)–सेल टैक्स विभाग सें निबन्धन प्राप्त हो जैसे टिन/जी0एस0टी0 नम्बर।
(Registration in Sales tax Department like Tin No./GST No.)

(ड.)–पॉच वर्षों से बाजार में कार्य कर रहें हों
(Market standing certificate for at least Five years.)

2-आवेदन शुल्क– पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र रु 500.00 (पॉच सौ रुपये मात्र)जो अप्रत्यर्पणीय होगा

3–आवेदन पत्र प्राप्त करनें की प्रकिया–आवेदन शुल्क रेल राजस्व में जमा करके किसी भी कार्य दिवस पर 9.30 से 17. 00 बजे तक चिकित्सा निदेशक ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर कार्यालय से दिनांक 30.11.17.तक जमा राशि के रसीद जमा करके प्राप्त कर सकते हैं या नीचे अंकित वेब साईट से डाउन लोड कर सकते हैं। वेब साईट से डाउनलोडेड आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रुप में जमा की गई राशि का रशीद जमा करना होगा।

4–आवेदन करने की अतिम तिथि–पुर्ण रुप से भरे पंजीकरण आवेदन पत्र दि 30-11-17 को 15.00 बजे तक चिकित्सा निदेशक,ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर के कार्यालय में लगे हुए टेन्डर बाक्स में जमा किया जा सकता हैं या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं ।

5–लोकल पर्चेज की नियम व शर्तें –

(क) –स्थानीय क्रय के लिए आई.आर.एस. कण्डीशन आफ कन्टैक्ट लागू होगा

(ख)–स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्रीयों औषधि/चिकित्सकीय सामग्री की आपूर्ति उसी दिन करनी होगी तथा अनुउपलब्ध सामग्री का विवरण फर्म द्वारा उसी दिन देना होगा,ताकि दूसरे चयनित फर्म से क्रय कर मरीजों को दिया जा सके। समय से आपूर्ति नही होनें पर रेलवे प्रशासन अन्य प्रतिष्ठानों से औषधि व अन्य चिकित्सकीय सामग्री क्रय करनें के लिए स्वतन्त्र होगा,जिसका भार आपूर्ति नही करनें वाले फर्म को वहन करना होगा।

(ग.) फर्म की कार्यक्षमता का आकलन प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा। जिन फर्मों की कार्यक्षमता संतोषजनक नही होगी उनका नाम चयनित सूची से निरस्त कर दिया जायेगा एंव दो वर्षों तक उनसे किसी भी प्रकार का अनुबन्ध नही किया जायेगा।

(घ) चिकित्सा निदेशक/ ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय,पू0उ0रे0,गोरखपुर बगैर कोई कारण बताये किसी भी स्तर पर MOU निरस्त करनें का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ड.) औषधि/चिकित्सकीय सामग्री के विश्लेषण रिपोर्ट की आवश्यकता नही होगी । फिर भी रेलवे किसी भी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में आपूर्ति औषधि/चिकित्सकीय सामग्री के विश्लेषण करानें के लिए स्वतन्त्र होगा। प्रयोगशाला विश्लेषण में यदि कोई मद मानक के अनुरुप नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6–आवश्यक निर्देश–

1– डाक वितरण या अन्य किसी वजह से निर्धारित समय के बाद प्राप्त होनें वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा तथा उसमें अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

2– लिफाफे के ऊपर **"चिकित्सा निदेशक,ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर में औषधियों व अन्य चिकित्सकिय सामग्रीयों की आपूर्ति स्थानीय कय आधार पर करनें के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र"** "विज्ञापन सूचना सं0 1/के0 औषधि भण्डार लोकल पर्चेज/पंजीकरण फर्म का नाम एंव पूरा पता अवश्य अंकित करें।

3– पंजीकरण हेतु चयनित फर्मों को रुपया 7500=00(रु0 सात हजार पॉच सौ मात्र) जमानत के रुप में जमा करना होगा। यह जमानत राशि दो वर्षों के लिए मान्य होगी व वापस नहीं किया जायेगा। जमानत राशि नही जमा करनें पर चयनित फर्मे का भी निबन्धन नही किया जायेगा।

4– प्रत्येक छः माह पर पंजीकृत फर्मों से निर्धारित नियम व शर्त के अर्न्तगत औषधियों व अन्य चिकित्सकीय सामग्री आपूर्ति हेतु दर कोटेशन प्राप्त किए जायेंगे तथा रेलवे के प्रचलित नियम के अर्न्तगत फर्म/फर्मो से छः माह के लिए अनुबन्ध कर सामग्री कय की जायेगी।

5– विशेष परिस्थतियों जैसे–एकल गैर पंजीकृत निर्माता, केवल गैर पंजीकृत फर्म की औषधि का उपलब्ध होना, पंजीकुत फर्म की मद का स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होना, को छोडकर औषधि व अन्य चिकित्सकीय सामग्री केवल मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर के यहॉ पंजीकृत मैनूफैक्चिरिंग फर्मो/ कम्पनियों की ही ली जायेगी। मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर के यहॉ पंजीकृत मैनूफैक्चिरिंग फर्मो/ कम्पनियों की लिस्ट पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

इस कार्य एंव आपूर्ति से सम्बन्धित नियम शर्तों एंव अन्य निर्देश पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

12-11-17

चिकित्सा निदेशक
ल0न0मि0 रेलवे चिकित्सालय,
पू0उ0रे0,गोरखपुर